30/10/14 कार्यालय में प्रश्नगत कार्य अभियान
लगवाई गई। न तो वादी हाजिर
तथा न ही वादी का वकील हाजिर।
इसी प्रकार प्रतिवादी एवं प्रतिवादी
के वकील हाजिर नहीं अतः वाद
वादी अनुपस्थिति अनुपस्थिति
में खारिज किया जाता है।
पत्रावली के अलग कर दी
जाये।

सहायक कलक्टर(फास्ट ट्रेक)
दाँतारामगढ़(सीकर)

Scanned with CamScanner